

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- ई-20/नर्सिंग/अध्य. अव./X-04-00920/2024/259

दिनांक :- 5/6/24

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक ।

विषय:-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अध्ययन अवकाश के प्रस्तावों में आक्षेपों की पूर्ति बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों से जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं के अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में निम्नानुसार आक्षेप पाये गये हैं जिनकी निर्धारित चैकलिस्ट के अनुसार पूर्ति कर स्पष्ट प्रस्ताव भिजवावे ताकि प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

क्र० सं०	कार्मिका का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	पदस्थापन जिला एवं पत्रांक क्रमांक/दिनांक	आक्षेप
1	सुनिता कुमारी मीणा म.स्वा.कार्य.	उप.केन्द्र निवारिया खण्ड देवली टोंक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्रांक 327 दिनांक 08.05.2024	1.कार्मिका का जीएनएम प्रशिक्षण आवंटन पत्र संलग्न नहीं है। 2.कार्मिका के प्रस्ताव सहायक लेखाधिकारी प्रथम से चैक उपरान्त भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। चैक लिस्ट लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। 3.राजस्थान सेवा नियम के नियम 121 क के अनुसार कर्मचारी को अध्ययन अवकाश के दौरान दिये गये वेतन भत्तों की दुगुनी राशि भरनी होगी बन्ध पत्र में उल्लेखित की जानी है। 4. सुनिता कुमारी मीणा के द्वारा दिनांक 27.01.2026 से 27.05.2026 तक 120 दिवस उपार्जित अवकाश अंकित की गई है। परन्तु दिनांक 27.01.2026 से 27.05.2026 तक 121 दिवस होते हैं अतः कार्मिका का संशोधित जीए -45 भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
2	रानी मीणा म.स्वा.कार्य.	उपकेन्द्र रघुनाथपुरा खण्ड देवली टोंक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्रांक 328 दिनांक 05.05.2024	
3	बीना मीणा म.स्वा.कार्य.	उपकेन्द्र ज्योतिपुरा खण्ड देवली टोंक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्रांक 329 दिनांक 05.05.2024	
4	ममता बैरवा म.स्वा.कार्य.	प्रा. स्वा.केन्द्र सुनारा टोंक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्रांक 306 दिनांक 22.04.2024	प्रस्ताव निर्धारित चैक लिस्ट के माध्यम से नहीं भिजवाये गये हैं।

उक्त कार्मिकाओं के अध्ययन अवकाश सम्बन्धी उक्त आक्षेप की पूर्ति कर निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की सके।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- ई-20/नर्सिंग/अध्य. अव./X-04-00920/2024/259

दिनांक :- 5/6/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को ई-मेल आई डी के माध्यम से प्रेषित करावें।

RajKaj Ref
7360961

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :04-06-2024 04:29:32